

राजस्थान सरकार

निवेशालय कोष एवं लैखा, राजस्थान जायपुर

क्रमांक :— एफ ३ (ग) एसीपी/८५-॥/अलेंटे-॥/४३३७-४०

दिनांक :— १४.०४.२०१३

कार्यालय आदेश संख्या २६/२०१३-१४

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(४०)एफडी(नियम) 2008—। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नानुकूल लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भौती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यवाहन किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निस्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय एसीपी पीडी-२, ९३००-३४८०० पे—बैण्ड एवं ग्रेड—पे ४८०० स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वकीर्ति)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	एसीपी स्वीकृति दि.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	दाऊलाल प्रजापति	15.04.1959	12.08.1985	12.08.2012	
2.	दुर्गा प्रसाद शर्मा	27.03.1955	12.08.1985	12.08.2012	
3.	महेन्द्र कुमार	01.07.1956	23.08.1985	23.08.2012	
4.	जगदीश प्रसाद गुप्ता	21.09.1952	12.08.1985	12.08.2012	
5.	आरपिच भार्गव	13.01.1958	12.08.1985	12.08.2012	
6.	किशनशर्मा चन्द्र	19.04.1956	12.08.1985	12.08.2012	

उपसेक्ट लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (४०) एफडी (नियम) 2008—। दिनांक 31.12.09 में दी छुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र य सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उपसेक्ट क्रम संख्या 2 से 6 पर अंकित लेखाकारों के वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (४०) वित्त/नियम/०८ दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त समर्पीकरण के आधार पर अधिकार पद गत ७ वर्षों से से ७ वर्षों की एपीएआर य संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त एसीपी द्वारा जारी पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार प्रतिवेदन से प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण मुनःखोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे ने निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपसेक्ट लेखाकारों का वैतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आवेदन दिनांक 12.09.2008 के पैसा १४, आवेदन विनांक ०८.१०.२००८ एवं एफ-१४(४०)एफडी(नियम) 2008—। विनांक ४१.१२.२००९ के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति य वैतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवाप्रतिक्रिया में ही जारी। वैतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (मुनरीकित सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार एसीपी स्वीकृत तिथि को इनके विरुद्ध कोई वैतनमान) 2008 में पे—ग्रेड 4200 में वैतन प्राप्त कर रहे हैं तथा एसीपी स्वीकृत तिथि को इनके विरुद्ध कोई लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वैतन नियतन किये जाते समय २६ ए का लाभ नहीं दिया गया है।

निदेशक
[Signature]

क्रमांक :— एफ ३ (ग) एसीपी/८५-॥/अलेंटे-॥/४३३७-४०
प्रतिलिपि निम्नानुकूल को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक :— १४.०४.२०१३

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री..... लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/ गार्ड फार्म/ गोपनीय अनुभाग / कम्प्यूटर अनुभाग (प्रेसार्ट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)